

20.10.15

पंचायती राजी वकील पक्ष उपायित
ही बहल विहार अधिवक्ता उभयपक्ष
पर मनन किया गया

ग्रामी के ग्रामिया पक्ष में अंकित
तथ्य, वैचिदल अनुलोष कृष्णी
1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अवका अवका में
वर्णित तथ्य, वैचिदल अनुलोषादि तथ्य

उभयपक्षकालान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
कादि का राजस्वकार कारकाकारी अधि
1955 सी. धारा 212 के सुसंगत


9. के अनुसारा एवं अखण्ड
विषेधाता की शर्त मय के संवैधा
में संकमक विधिसंगत विचार किया

ग्रामी का कसत्र है, कि ग्राम चौकाना
की अमि खं 242/1 कवा 9111/1 अमि
ग्रामी की स्वार्थित सेपारि वी अ कृष्णी

में 2 के काम गिबी रावी गच्छे भी पाल्ल
अग्रामी में 2 द्वारा कृष्णी के. 1 के काम
पर D.C. का लदल्य होने के कारण दर्ज कवा

की है। उक्त अमि कर्जी हलासा र्श रजि
कवा का अग्रामी में 1 के काम पर इमी
कवा है। उक्त रजि दस्तावेज कर्जी

ही कला मर 103 वीरुड घोषित किया


अधिका
उपस्थित

रजि रजि वचनामा ग्रामी द्वारा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

वादागत खसरा नं० २५२/१ फका १ की धा
 १५ बिघा का बेचान अर्जा नं० २ का कर दिया
 ही साथ ही साथ अर्जा द्वारा ऐसा दस्तावेज
 पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता
 हो कि उक्त अर्जा के नाम पर कर ही
 जहाँ एक रजि० बयनामा फर्जी होने का प्रमाण
 है, की इस प्रक्रम में चारा गया अनुसूचि (रजि०-
 बयनामा नं० ए०५ वॉषड घोषित कलामा) इस
 न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। वैसे
 भी हमें रजि० बयनामा ख० नं० २५२/१ फका
 १/११७ पर प्रथम डलिया अर्जा नं०
 १ का अकट होता ही और एक खसरा नं०
 २४२ फका ०.३२ हेक्टर की एक जमाबंदी
 भी अर्जा का प्रथम डलिया अर्जा अर्जा
 नहीं होता ही उक्त अर्जा का हाकिम वाद-
 गत अर्जा का इस पार पर मिलान नहीं
 कलामा गया है किन्तु अर्जा में उक्त
 अर्जा भी अर्जा नं० १ का नाम रूने होने पर
 अर्जा नं० १ का प्रथम डलिया
 अर्जा अर्जा होता है

बिवादित अर्जा के अर्जा के द्वारा रि
 १२/६१०५ का अर्जा नं० १ का नाम पर बेचान
 कर दिया है अर्जा द्वारा उक्त बयनामा की हस्ता-
 खत नहीं करने के कथन किया है परन्तु उक्त
 बयनामा किसी स्वयं न्यायालय हान प्रमाण-
 शून्य घोषित कर दिया है, ऐसा कोई
 तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसका
 विपरीत दस्तावेज के पत्र नं० ३ पर बेचान
 मुदा अर्जा का कलामा होता की रजि० का

किसने किया गया है


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहम
हुकम
में

इस प्रकार विवादित भूमि पर जमीन
का कब्जा नहीं होगा एकदम ही
एकल म यदि वादी के कथनानुसार जमीन
वादी कब्जा में है। का वादागत
भूमि से बेदाखल किया जाता है, या
मदाखलत आदि के लिए पाबन्द किया
जाता है कि इससे जमीन की कमी
अपनी नं०। का ही अलुविधा है कि
ज्याकि वादागत भूमि पर कब्जा नं०
। का "सर्वेड पत्र" एकदम ही रहा है
कल अलुविधा का संलुप्त जमीन की
कमीसा कब्जा नं० के पास में एकदम है।

रजिस्टर्ड दस्तावेज / बयनामा
पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी
अंकित न काले दुय हम एकल
में यह कतना उचित समझते हैं, कि
जमीन द्वारा वादागत भूमि की कमी
जात होगा, भूमि बचन, कब्जा
कोपना रजिस्टर्ड दस्तावेज में अंकित
किया गया हुआ है यदि जमीन के साम


उप-
रजिस्ट्रार

किसी प्रकार का क्रैव हुका लें, ता
उसके लिये दीवानी / सिविल न्यायालय
में जाना चाहिये / पान्चरु जामी द्वारा
कोई एयम पेस नही किया गया है /
जामी द्वारा रकम जाल किया जाना
अंकित है इस काल जामी के पक्ष
में कोई अपरिमित शर्त एयम नही
की जा सकती। अजामी नं. 1 के
पक्ष में अपरिमित शर्त उबयत है

प्रकारण के मुजाबुत पर लम्बे
विचनोपराह हम यह पते हैं, कि -
जामी की या अजामी नं. 1 की वादगत इमि
पर क्या अण्णमा है? या लोक चाहिये
इसका विरश्चम इणवाड पर लम्बे
साय्यापराह तथा लमुन्विल परीसको
पराह विधि अनुसार मीर पर
होना है न कि जामी के जार पत्र
या अजामीगठ के खवाव के काया पर

कतः जामना पत्र जामी की खाति
किया जाना उचित उगीव है कतः जामना
पत्र जामी खारीज किया जाता है
फालकी कैसु सुमा की मकल
इणवाड मिठ नं. 141 के साथ संलग्न
किया जावे।

निर्णय काठ दि. 27-10-15 का
मेरु द्वारा जिलामा मकल विह्वल न्यायालय
में सुनाया गया।

S.D. मीरु विह्वल
उपलवड इनिशियलरी राठ मरडी